न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **17/2017** रसद

राज्य सरकार जरिये श्याम प्रतापसिंह प्रवर्तन निरीक्षक

.....**प्रार्थी**

बनाम

व्यवस्थापक, लेम्पस कोटड़ा, उचित मुल्य दुकानदार कोटड़ा बी एवं सी, तहसील कोटड़ा

.....**विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सपठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2001 के क्लॉज 10 के तहत जब्तशुदा 45.5 क्विं. गेहूँ मय बारदाना को राजसात करने के कम में

उपस्थितः— 1. श्री विजयसिंह राठौड़, पैरोकार सरकार
2. विपक्षी स्वयं

—: निर्णय :—

दिनांकः—11.12.2017

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक श्यामप्रतापसिंह द्वारा एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा 45.5 क्विंटल गेहूँ मय बारदान को राज्यसात किये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जॉच दल द्वारा उपखण्ड कोटड़ा के उचित मुल्य की दुकान सेन्टर जुड़ा बी का दिनांक 21.07.17 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान खुली मिली, दुकान पर श्री अब्दुल खालिद पुत्र अब्दुल हबीब निवासी कोटड़ा उपस्थित मिला। जिसने जाहीर किया कि वह लेम्पस पर सहायक पद पर कार्यरत है और पी.डी.एस. का सेल्समेन हैं। लेम्पस का अन्य कोई कार्यकर्ता दुकान पर उपस्थित नहीं मिला। अब्दुल खाली के पास दो पॉईन्ट ऑु सेल मशीन उपलब्ध मिली जिनके मशीन कोड 4927 एवं 4929 हैं। यह भी बताया कि लेम्पस के इसी कार्यालय पर कोटड़ा के

सेन्टर बी एवं सी का उचित मुल्य दुकान का कार्य किया जाता हैं। जिस हेतु संस्था को प्राधिकार पत्र संख्या क्रमशः 95/83 एवं 542/89 जारी हैं। जॉच पर निम्न अनियमितताएॅ होना मिलाः—

1. स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शन नहीं किया जाना पाया गया।
2. निःशुल्क उपभोक्ता हेल्प लाईन नम्बर प्रदर्शित नहीं मिला।
3. खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारो की ई सूची दुकान पर उपलब्ध नहीं मिली।
4. डीलर ने निरीक्षण के समय प्राधिकार पत्र एवं दुकान का स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत नहीं किया।
5. मशीन संख्या 4927 एवं 4929 से डे रिपोर्ट और करंट स्टॉक की पर्ची ली गई जिसके अनुसार डे रिपोर्ट में सेन्टर बी एवं सी की बिक्री केरोसीन शून्य, गेहूॅ 3705 किग्रा. और चीनी शून्य हैं। करन्ट स्टॉक में सेन्टर बी व सी की चीनी 22.10 किग्रा. केरोसीन 270.10 लीटर एवं गेहूॅ 7525 किग्रा दर्ज हैं। सेन्टर कोटड़ा बी एवं सी की मशीन संख्या क्रमशः 4927 एवं 4929 में दर्ज स्टॉक अब्दूल खालिद के द्वारा प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टर में अन्तर भिन्नता होना मिला। जिस कारण कुल 6 स्टॉक रजिस्टर एवं 2 वितरण रजिस्टर फर्द जब्ती बनाकर कब्जे राज लिये गये। गेहूॅ चीनी एवं केरोसीन के वितरण के स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किये गये। डीलर द्वारा पॉस मशीन में स्टॉक का इन्द्राज सही तरीके से नहीं किया गया जाता हैं। खालिद ने बताया कि उनके द्वारा सितम्बर 2016 में कोटड़ा सेन्टर बी पर एक अन्त्योदय कार्ड पर 35 किग्रा गेहूॅ और कोटड़ा सेन्टर सी पर दो राशन कार्डो पर कुल 70 किग्रा गेहूॅ का वितरण ऑफलाईन/रजिस्टर के माध्यम से किया गया जिसे ऑनलाईन कर दिया जाना जाहिर किया। लेम्पस के गोदाम पर कोटड़ा सेन्टर बी एवं सेन्टर सी का गेहूॅ, केरोसीन और चीनी का स्टॉक एक ही जगह रखना वक्त निरीक्षण जाहीर किया।

डीलर के पास दोनो सेन्टरो के संयुक्त अंकेक्षण करने पर गेहूॅ 187 क्विंटल होना चाहिये था जबकि शेष गेहूॅ 232.50 क्विंटल मौके पर मिला जो रेकार्ड के मुकाबले 45.50 क्विंटल अधिक था। जिसे मौके पर जब्त किया गया। इस प्रकार लेम्पस कोटड़ा ए व बी उचित मुल्य दुकान उपखण्ड कोटड़ा द्वारा अपने वितरण कार्य में गम्भीर किस्म की अनियमितता की गई हैं। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड (3) के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 6, 8, 11, 17सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। साथही डीलर का उक्त कृत्य पीडीएस ऑर्डर 2015 के प्रावधानो का भी उल्लंघन हैं। जो ई. सी.एक्ट 1955 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः जब्तशुदा 45.5 क्विंटल गेहूॅ मय बारदान राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुल्य स्टॉक सूची प्रदर्शित की गई थी किन्तु भारी वर्षा के कारण धुल गया था। तहसील कोटड़ा के डीलरो को हेल्पलाईन नम्बर जारी नहीं किया गया हैं। खाद्य सुरक्षा की जो सूची पंचायत समिति कोटड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गई है जो पेश की गई। ई सूची डीलरो को उपलब्ध नहीं करवायी गई हैं। लेम्पस कोटड़ा का भवन एकान्त में होने से आवश्यक दस्तावेज (प्राधिकार पत्र वगैरा) के चोरी हो जाने का अंदेशा होने के कारण सुरक्षित स्थान पर रखे गये थे जो वक्त जॉच जल्दबाजी के कारण पेश नहीं किये जा सके। स्टॉक के अनुसार मौके पर स्टॉक सही था। कोटड़ा दूर दराज आदीवासी क्षेत्र हैं जहॉ हमेशा टॉवर कि समस्या बनी रहती हैं। निरीक्षण के दिन कोटड़ा में भारी बारीश हो रही थी। लेम्पस भवन के आगे काफी मात्रा में पानी भरा होने के कारण उपभोक्ताओ के द्वारा अपना गेहूॅ लेम्पस गोदाम में ही रखा गया था। जो बरसात बन्द होने के बाद उपभोक्ता ले जाना चाहते थे। इसी दौरान जॉच दल द्वारा निरीक्षण कर 45.50 क्विंटल गेहूॅ अधिक माना जाकर जब्त किया गया। केरोसीन स्टॉक के मुकाबले सही पाया गया। वक्त जॉच से पूर्व ही व्यवस्थापक उच्च रक्तचाप की बिमारी से गृसित होकर उदयपुर जैर ईलाज था जिसे बाद में ब्रेनहेमरेज हो जाने के कारण जीवन मृत्यु के बीच जैर ईलाज हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वितरण की व्यवस्था पीडीएस सेल्स में अब्दुल खालिद पिता अब्दुल हबीब के द्वारा संचालित की जा रही थी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि 45.50 क्विंटल उपभोक्ताओ का होने से उपभोक्ताओ में वितरण किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हम विपक्षी के इन कथनो व जवाब से संतुष्ट नहीं है कि निरीक्षण के दिन कोटड़ा में भारी बारीश हुई थी। लेम्पस गोदाम के आगे भारी मात्रा में पानी भर गया था। यदि निरीक्षण के दिन कोटड़ा में भारी बारीश होती तो निरीक्षण दल द्वारा अपने निरीक्षण में मौके पर्चे में इसका उल्लेख अवश्य किया गया होता। अपने जॉच प्रतिवेदन में जॉच दल द्वारा इसका कही पर भी उल्लेख नहीं किया गया हैं। वक्त निरीक्षण लेम्पस गोदाम पर कोई उपभोक्ता भी नहीं मिले। जो गेहूॅ, चीनी या केरोसीन लेने के लिये आये हुए हों। यदि 45.5 क्विंटल गेहूॅ उपभोक्ताओ का गोदाम में होता तो आवश्यक रूप से 2–4 उपभोक्ता गोदाम में ही या गोदाम के आस पास उपस्थित मिलते। जो बारीश के रूकने के बाद गेहूॅ को ले जाते। लेम्पस विक्रेता द्वारा महज काल्पनिक आधार पर मनगढंत बचाव हेतु जवाब

प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी प्रकार से स्वीकार योग्य नहीं हैं। वक्त बहस उपभोक्ताओ के शपथ पत्र की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की गई है जो संलग्न पत्रावली हैं। इन शपथ पत्रो से सेल्समेन लेम्पस कोटड़ा को कोई सहायता नहीं दी जा सकती हैं। वक्त निरीक्षण सेल्समेन इन उपभोक्ताओ को निरीक्षणकर्ताओ के समक्ष प्रस्तुत कर उनके बयान करवाता तो उसके कथनो पर विश्वास किया जा सकता था। विपक्षी के जवाब की पुष्टी में प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा से माह जुलाई 2017 की बारीश की सुचना मंगवाई गई जिसकी छायाप्रति संलग्न पत्रावली हैं। जिसमें कोटड़ा क्षेत्र में दिनांक 19.07.17 को 1 एमएम, दिनांक 20.07.17 को 7 एमएम एवं दिनांक 21.07.17 को 6 एमएम बारीश का होना जरीये अभिलेखीय साबित होता हैं। जो भारी बारीश नहीं हैं। राशन डीलर का यह कथन सत्य साबित नहीं होता है कि इस बारीश से उपभोक्ता गेहूॅ गोदाम से तुलवाने के बाद नहीं ले जा सके। भारी बारीश का कथन विपक्षी डीलर का गलत हैं। इससे डीलर का उक्त कृत्य प्रथम दृष्ट्या गेहूॅ के दूरूपयोग करने की नियत से लेम्पस गोदाम में अवैधानिक रूप से रखा गया था जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 6, 8, 11, 17सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। साथही डीलर का उक्त कृत्य पीडीएस ऑर्डर 2015 के प्रावधानो का भी उल्लंघन हैं। जो ई.सी.एक्ट 1955 के तहत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उचित मुल्य दुकान लेम्पस कोटड़ा बी एवं सी के डीलर व्यवस्थापक की दुकान से जब्त 45.5 क्विंटल गेहूॅ मय बारदान को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी द्वितीय, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्त गेहूॅ को नियंत्रित दर पर वितरण करवा प्राप्त राशि जरिये चालान राजकोष में जमा करा निर्णय की पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी द्वितीय, उदयपुर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर,
उदयपुर